

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(35)नवि/3/2010 पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 24 OCT 2019

आदेश

भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के नियम 5 के अन्तर्गत नगर पालिका/नगर परिषद, नगर निगम, नगर विकास न्यास एवं जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण स्तरीय समितियां गठित हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका (PIL) गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में प्रदत्त निर्देश दिनांक 12.01.2017 की अनुपालना में भू-उपयोग परिवर्तन वृहत जनहित में ही किये जाने हैं। उपरोक्त के क्रम में स्थानीय स्तर पर गठित समितियों को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

वृहत जनहित में भू-उपयोग परिवर्तन आवश्यक होने पर संबंधित नगर पालिका/परिषद, नगर निगम, नगर विकास न्यास, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में निर्णयार्थ प्रेषित किया जावेगा। राज्य स्तरीय समिति के निर्णय एवं विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात ही संबंधित नगरीय निकाय द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अंतिम आदेश जारी किया जावेगा।

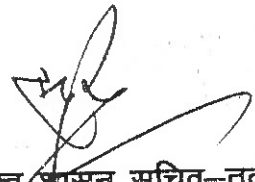
संबंधित नगरीय निकाय द्वारा राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में प्रकरण प्रेषित करते समय आवश्यक सूचना नियमानुसार निर्धारित चैक लिस्ट में मय आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, नगरीय निकाय की भू-उपयोग परिवर्तन हेतु औचित्य एवं निकाय/न्यास/प्राधिकरण स्तरीय कमेटी की स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रेषित की जावेगी। इसके साथ ही मौके की स्थिति यथा विद्यमान पहुंच मार्ग की चौड़ाई एवं मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित चौड़ाई की सूचना स्पष्ट रूप से प्रेषित की जावे तथा क्षेत्र का नवीनतम रंगीन गूगल मैप भी संलग्न किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(भास्कर ए. सावंत)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. एम्प्लॉयड आर्किटेक्ट समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय